संख्या- 80/2022/1517/छप्पन-002-56-1099-2-2021

प्रेषक,

आनन्द कौशिक,
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
नागरिक उड्डयन,
उ0प्र0, लखनऊ।

नागरिक उड्डयन अनुभाग लखनऊ: दिनांक: 29 सितम्बर, 2022

विषय: जनपद अयोध्या स्थित राजकीय हवाई पट्टी को मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम एयरपोर्ट के रूप में विकसित किए जाने हेतु चिन्हित भूमि पर अवस्थित बाधा बन रही विद्युत लाइनों की पुनर्स्थापना हेतु धनराशि की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक 155/आर0सी0एस0-2022-ए-3/2018 दिनांक 26 सितम्बर, 2022 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा जनपद अयोध्या स्थित राजकीय हवाई पट्टी को मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम एयरपोर्ट के रूप में विकसित किए जाने हेतु चिन्हित भूमि पर अवस्थित बाधा बन रही विद्युत लाइनों की पुनर्स्थापना हेतु उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0 को उपलब्ध कराए जाने हेतु स्वीकृत लागत रू0 38.10 करोड़ के सापेक्ष अवमुक्त धनराशि रू0 6.00 करोड़ को कम करते हुए रू0 32.10 करोड़ (रूपए बत्तीस करोड़ दस लाख मात्र) की वित्तीय स्वीकृति जिलाधिकारी, अयोध्या के निवर्तन हेतु जारी करने का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।

2- जनपद अयोध्या स्थित राजकीय हवाई पट्टी को मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम एयरपोर्ट के रूप में विकसित किए जाने हेतु चिन्हित भूमि पर अवस्थित बाधा बन रही विद्युत लाइनों की पुनर्स्थापना हेतु शासनादेश संख्या 111/2021/2122/छप्पन-2021-11/2013 टी0सी0-2 दिनांक 29 दिसम्बर, 2021 द्वारा रू0 85.64 करोड़ की प्रशासकीय स्वीकृति के साथ रू0 2.00 करोड़ तथा शासनादेश संख्या 35/2022/ 485/छप्पन-2022-11/2013 टी0सी0-2 दिनांक 30 मार्च, 2022 द्वारा रू0 5.00 करोड़ तथा शासनादेश संख्या 43/2022/635/छप्पन-2022/001-56-1099-2-2021 दिनांक 05 मई, 2022 द्वारा रू0 5.00 करोड़ अर्थात् कुल रू0 12.00 करोड़ की धनराशि अवमुक्त की गई थी।

जिलाधिकारी, अयोध्या के पत्र संख्या 1174/वि0भू0अ0अ0/अयो0/एयरपोर्ट दिनांक 29 अगस्त, 2022 के अनुसार रू0 6.00 करोड़ की धनराशि का भुगतान उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0 को तथा रू0 6.00 करोड़ की धनराशि का भुगतान मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लि0 को किया गया है।

3- इस सम्बन्ध में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद अयोध्या स्थित राजकीय हवाई पट्टी को मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम एयरपोर्ट के रूप में विकसित किए जाने हेतु चिन्हित भूमि पर अवस्थित बाधा बन रही विद्युत लाइनों की पुनर्स्थापना हेतु उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0 को उपलब्ध कराए जाने हेतु स्वीकृत लागत रू0 38.10 करोड़ में से पूर्व में दी गई धनराशि

2/...

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

रू0 6.00 करोड़ को कम करते हुए शेष धनराशि रू0 32.10 करोड़ (रूपए बत्तीस करोड़ दस लाख मात्र) की वित्तीय स्वीकृति चालू वित्तीय वर्ष 2022-2023 में व्यय की अनुमति सहित जिलाधिकारी, अयोध्या के निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करती हैं:-

(1) निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा प्रस्तावित धनराशि को आहरित कर किसी बैंक खाते में नहीं रखा जायेगा। अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जायेगा।

(2) निदेशक, नागरिक उड्डयन यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रायोजना का सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही कार्य कराया जाएगा। कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी निदेशक, नागरिक उड्डयन की होगी।

(3) निदेशक, नागरिक उड्डयन यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्ययोजना में सम्मिलित नहीं है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्त्रोत से धनराशि स्वीकृति नहीं की गई है।

(4) निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति जिस कार्य/मद हेतु की जा रही है, उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्य/मद हेतु किया जाएगा।

(5) निदेशक, नागरिक उड्डयन यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृत्ति नहीं हो रही है।

(6) निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 07 जून, 2022 द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

(7) उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0 तथा मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लि0 द्वारा उपलब्ध कराए गए आगणन की शुद्वता तथा आगणन के सापेक्ष भुगतान की जाने वाली धनराशि की देयता/शुद्वता एवं औचित्य के सम्बन्ध में उत्तरदायित्व उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0 तथा मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लि0 के सक्षम अधिकारी का होगा।

(8) उक्त के अतिरिक्त पूर्व निर्गत शासनादेश संख्या-111/2021/2122/छप्पन-2021-11/2013टी.सी.-2 दिनांक 29 दिसम्बर, 2021 में उल्लिखित शर्तें/प्रतिबन्ध यथावत् लागू रहेंगी।

4- उपर्युक्तानुसार स्वीकृत धनराशि रू0 32.10 करोड़ (रूपए बत्तीस करोड़ दस लाख मात्र) निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा तत्काल आवंटित कर जिलाधिकारी, अयोध्या के निर्वतन पर रखी जायेगी। जिलाधिकारी, अयोध्या द्वारा उक्त धनराशि उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0 को नियमानुसार उपलब्ध कराई जाएगी।

5- उक्त धनराशि वित्तीय वर्ष 2022-2023 के अनुदान संख्या-38 पूंजी लेखा "लेखा शीर्ष 5053-नागर विमानन पर पूंजीगत परिव्यय-02-विमानपत्तन-800-अन्य व्यय-22-अयोध्या में एयरपोर्ट-60-भूमि क्रय'' से वहन की जाएगी।

3/...

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

6- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्या: ई-7-133/दस-2022-23, दिनांक 29 सितम्बर, 2022 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किया जा रहा है।

भवदीय,
आनन्द कौशिक
अनु सचिव

संख्या- 80/2022/1517/छप्पन-002-56-1099-2-2021, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार-प्रथम (लेखा एवं हकदारी), प्रथम, उ0प्र0, प्रयागराज।

2- उप महालेखाकार/ई0एस0-।।।, आडिट भवन, टीसी-35-वी-1, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ-10.

3- आयुक्त, अयोध्या मण्डल, अयोध्या।

4- जिलाधिकारी, अयोध्या।

5- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0, लखनऊ।

6- प्रबन्ध निदेशक, मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लि0, लखनऊ।

7- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ/ मुख्य कोषाधिकारी, अयोध्या।

8- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7/नियोजन अनुभाग-4/ ऊर्जा अनुभाग-3.

9- समीक्षा अधिकारी (बजट)/गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
आनन्द कौशिक
अनु सचिव

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।